न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(न...)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री , आर०ए०एस०

अपील संख्या 17/2018

1– दीपसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति रावणा राजपूत , निवासी तंवरा , तह... लाडनूं ,जिला नागौर, राजस्थान।

...............अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडनूं जिला नागौर राजस्थान

.......प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री विकास टोलिया, हाकम अली एवं विक्रम कुड़ी, अधिवक्तागण , ...

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरुद्ध निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 15.0..201.. संख्या 94/2016 किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व ... 1956 की धारा 91 न्यायालय तहसीलदार लाडनूं जिला ... राज० पीठासीन अधिकारी आदूराम मेघवाल आर.टी.एस. द्वारा ... राज्य बनाम दीपसिंह में पारित किया गया।

निर्णय

दिनांक– 23.......

अपीलान्ट की ओर से अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :–

1– यह है कि दिनांक 20.12.2016 को प्रत्यर्थीगण संख्या ... रिपोर्ट अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91के तहत कार्य... बाबत प्रत्यर्थी संख्या 01 के न्यायालय में पेश की जिस पर प्रत्यर्थी ... 01 के न्यायालय में मुकदमा 94/16 अनुवान सरकार जरिये पट... तंवरा बनाम बीरूराम किस्म मुकदमा धारा 91 एल.आर. एक्ट 195... दिनांक 20.12.2016 को अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी ...

मुकदमा दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया आगामी तारिख पेशी 11.01.2017 को फरमायी गई।

2— यह है कि दिनांक 11.01.2017 को अपीलार्थी को नोटिस ... की वजह से उपस्थित नही हो सका। दिनांक 30.01.2017 को अ... अधिवक्ता श्री छोगाराम बुरड़क ने वकालतनामा पेश किया । दिनां... 2017 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी का जवाब पेश किया । ... अपने जवाब में जाहिर किया कि प्रार्थी आबादी क्षेत्र में मकानों ... कर निवास कर रहे है। इसलिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमी ... जाना न्यायोचित नहीं है। आपके द्वारा बताई गई मौजा तंवरा ... भूमि है। अप्रार्थी के जवाब के संदर्भ में पटवारी हल्का एवं भू ... निरीक्षक के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसके अनुसार अप्रार्थी ... नम्बर 165 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जो गैर ... गौचर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा पटवारी हल्का ... भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व बयानात का भलीभांति ... अवलोकन किया गया । जिससे अप्रार्थी का सरकारी भूमि पर अ...क्रमण किया जाना बेखूबी साबित होता है। मौजा तंवरा जागीर खसरा ... रकबा 0.10 बीधा किस्म गैर मुमकिन गौचर पर मकान बनाकर राजकीय ... पर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राज0 ... राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उललघंन है जो ...क्रमण की क्षेणी में आता है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर ... खसरा नम्बर 165 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर से बेद... किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी पर वार्षिक लगान दर 0.... 50 गुणा से जुर्माना रूपये 14/— अक्षरे चोदह रूपये कायम किया ... है। अप्रार्थी से जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का, भौतिक रूप से बेद... हेतु भू अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व ... कार्यालय हाजा को तहरीर जारी हो।

3—यह है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि... 2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील निम्न ... माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :--

—: अपील के आधार :—

(1) यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश एवं ...आदेश दिनांक 15.03.2017 को पारित करने में प्राकृतिक न्याय से सिद्ध... की आवहेलना की है। अपीलार्थी को गवाह पेश करने व मौखिक रूप ... का कोई अवसर नही दिया गया इस कारण विद्वान अधीनस्थ ... द्वारा पारित आलौच्य आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.20... अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यह है कि अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ... को कन्टेस्ट करने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति भी की गयी थी एवम ...र्थी द्वारा विद्वान विचारणं न्यायालय के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया ... था उसके बावजूद दिनांक 08.03.2017को व निर्णय के दिन ...नांक 15–03–2017 को अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति ... की गई जिससे स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपी... को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया। आदेशिक दिनांक 15.03... से भी प्रमाणित है। उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये विद्वान ...नस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अधीन अपास्त कि... जाने योग्य है।

3– यह है कि पटवार हल्का द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच के दबाव में ... उक्त कार्यवाही पेश की जबकि उक्त तीनों खसरान् में करीब 1... ...वार अपने–अपने मकान बनाकर निवास करते आ रहे है। इस ... 35 परिवारों के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल करने ... पूर्ण कार्यवाही की है तथा शिकायत कर्ता राजनितिक प्रतिस्पर्दा ... कार्यवाही कर अपनी राजनितिक रंजिश निकालने का प्रयास कर ... है। इस कारण 166 परिवारों में से मात्र 35 परिवारों के विरूद्ध झुठी ... कर कार्यवाही की है जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

4– यह है कि अपीलार्थी का मकान आबादी भूमि ग्राम तंवरा में ब... है जिसमें अपीलार्थी के द्वारा घरेलू लाईट व पानी कनेक्शन ले र... तथा सदीन काल से मकान बने हुये है। इससे स्पष्ट है कि अपीला... ...दी क्षेत्र तंवरा में मकान कर निर्माण कर निवास कर रहे हैं। जो ... अतिक्रमी नहीं है। उक्त तथ्यो की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्या... ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अधीन अपील अपास्त किये ... है।

5– यह है कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण संख्या 02 की केवल मात्र ... बयान के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य ... दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को पारित फरमाया। इसमें विद्वान ... न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य का सही ... नही किया है इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारि... आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

6— यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 165 रकबा 0.10 ... किस्म गैर मुमकिन गौचर पर अतिक्रमी मानकर योग्य अधिनस्थ न्याया... ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की... अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील अपास्त किये जा... योग्य है।

7— यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ... लौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 गुणावगुण के आधार पर पारि... किया गया आदेश नही है। इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमा... ...वे।

8— यह है कि अपीलार्थी की अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तह... लदार लाडनूं जिला नागौर के विरूद्ध है। इस कारण उक्त अपील ...नीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।

9— यह है कि अपीलार्थी को नोटिस मिला तथा अपीलार्थी ने उक्त ...टिस का जवाब अपने अधिवक्ता के मार्फत दिया गया था फिर माननीय ...नस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थित रहने के ...जूद उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। उक्त आलौच्य आदेश की नकल अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2018 को प्राप्त की इसलिए अपील अ... ...याद है।

10— यह है कि अन्य उजरात बर उक्त अर्ज किये जायेगे।

अतः अपीलार्थी की अपील पेश कर माननीय न्यायालय से वि... ...क प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जा... ...द्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिन... ...03 2017 को अपास्त फरमाया जावे एवं विकल्प में अपीलार्थी ... भी प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ...द्वान अधीनस्थन न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिन... ...03. 2017 को अपास्त फरमाया जाकर इस निर्देश के साथ पत्रावली को ...द्वान अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में सुनवाई का, ..., व साक्ष्य, दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर देकर प्रकरण का गु...गुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

यह अपील अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास ...िया द्वारा पेश की गयी। जो दिनांक 07.3.2018 को दर्ज रजिस्टर ... ...कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा अधिनस्थ ... ...य को रेकर्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधिनस्थ न्यायालय का ... ... व नोटिस तामिल होकर दिनांक 19.4.2018 को प्राप्त हुवे जो शामि... ...ल

किये गये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड दिनांक 11.5.18 को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया ।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन व मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा ग्राम मौजा तंवरा जागीर के ख0नं0 165 रकबा 0.10 बीघा गैर मु0 गोचर पर मकान बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर भोतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत 14/– रूपये शास्ति दण्ड आरोपीत किया गया ।

गौचर की जमीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है जिसमें धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत उक्त पर किसी प्रकार के खातेदारी अधीकार प्राप्त नही होते हैं। न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पटटा जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी ने स्वयं अपने लिखित जवाब में बताया है कि वह आबादी क्षेत्र में राजकीय भूमि पर मकान का निर्माण कर निवास कर रहा है। पटवारी हल्का तंवरा व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में भी अप्रार्थी को गै0मु0गोचर भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है। बिना पटटे बिना नियमन के गौचर भूमि पर मकान बनाकर निवास करना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तथा यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अप्रार्थी को सुना नही गया है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.2.17 में अप्रार्थी ने स्वम उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.3.17 को किया गया निर्णय विधी सम्मत है।

:::: आ दे श ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2017 बहाल किया जाता है।

(बलवन्त सिंह ...)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह ...)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)